न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 277/2016

बउनवान

केशरीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल जाति–माली निवासी–पाठेड़ा तहसील–बारां जिला–बारां, राज0 **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां **(रेस्पोंडेंट)**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री असलम भारती, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 25.10.2021

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 10.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–पाठेड़ा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 44/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर पारित किया है जो स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। प्रकरण में पूर्व पारित निर्णय एवं बेदखलीनामा शामिल नहीं किया गया है, इस प्रकार पत्रावली पर द्वितीय अतिक्रमी की कोई साक्ष्य नहीं होते हुए भी निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.11.2014 मि0 नं0 906/14 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

जिला कलक्टर

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है तथा अपीलांट उक्त आराजी पर भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 383/12 निर्णय दिनांक 22.05.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु जारी नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई है। साथ ही अपील में अंकित किया गया है कि अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया जुर्माना भी अपीलांट ने जमा करवा दिया है। अपीलांट की अपील में अंकित तथ्यों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड में संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक दिनांक 16.03.2016 से होती है। जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक ने वर्तमान में मौके पर कोई फसल नहीं होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना हम उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 906/14 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 10.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.11.10 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)